

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 27, बुधवार, १९४७- मार्च 18, 2026 Phalguna 27, Wednesday, Saka 1947- March 18, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 13, 2026

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

Rajkaj 20902949 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य के ब्यावर-भरतपुर (ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे) सड़क को छः लेन/चार लेन मय पेव्ड शोल्ड विकसित किए जाने के प्रयोजन से जिला जयपुर में प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है।
उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव का नाम	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	जयपुर	चाकसू	तमाड़िया	उपखंड अधिकारी चाकसू
2			बीची	
3		माधोराजपुरा	चादमांकलां	उपखंड अधिकारी माधोराजपुरा
4			दौसराखुर्द	
5			गोविन्दपुराउर्फमण्डालिया	
6			प्रेमपुरा	
7			सरस्वतीपुरा	
8			सेहदरिया	
9			ऊंटकाखेड़ा	
10		फागी	चकवाडा	उपखंड अधिकारी
11			चौरूदक्षिण	
12			हथेली	
13			गड्डा	
14			भोजपुरा	
15			कंवरपुरा	

16			लसाड़िया	फागी
17			मदनपुरा	
18			मांदी	
19			नथमलपुरा	
20			नीमेड़ा	
21			फागीदक्षिण	
22			पिनाच	
23			रतनपुरा	
24			शंकरपुरा	
25		मौजमाबाद	सांवली	उपखंड अधिकारी
26			झाग / चक झाग	मौजमाबाद
27			रामपुरा उर्फ भूरटिया	

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड - चाकसू को तहसील चाकसू एवं माधोराजपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड - फागी को तहसील, फागी एवं मौजमाबाद के लिए अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसील चाकसू के लिए उपखण्ड अधिकारी चाकसू, तहसील माधोराजपुरा के लिए उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, तहसील फागी के लिए उपखण्ड अधिकारी फागी एवं तहसील मौजमाबाद के लिए उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी होंगे।

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा “मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक. संयुक्त उद्यम में आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड सहयोग में एनवी प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड” एजेंसी का चयन किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड - चाकसू जिला जयपुर द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तहसील चाकसू एवं माधोराजपुरा के प्रभावित गाँवों एवं अधिशाषी अभियन्ता खण्ड - फागी जिला जयपुर द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तहसील फागी एवं मौजमाबाद के प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

तहसील चाकसू माधोराजपुरा
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.
खण्ड - चाकसू
जिला - जयपुर (राज)

तहसील फागी, मौजमाबाद
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.
खण्ड - फागी
जिला - जयपुर (राज)

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी
मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक.
संयुक्त उद्यम में
आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
सहयोग में
एनवी प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
(श्री अविनाश मिश्रा)
मोबाईल 9929383076

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।